


अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित पारिवारिक न्यायालयों के कॉलम संख्या 3 में वर्णित संबंधित जिला न्यायाधीश से स्थानान्तरित किये जाने वाले दीवानी यादों को पीछे लिखने हेतु दीवानी याद सुनने का अधिकार प्रदान करती है।

साथ ही मोटर वान अधिनियम, 1988 (1988 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित पारिवारिक न्यायालयों को स्थानान्तरित किये जाने वाले मोटर दुर्घटना दावों की सुनवाई हेतु मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके अधिकरण का पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	जिला
1	2	3
1	पारिवारिक न्यायालय, बालोतरा	बाड़मेर (बालोतरा)
2	पारिवारिक न्यायालय, धौलपुर	धौलपुर
3	पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर	जैसलमेर
4	पारिवारिक न्यायालय, जालोर	जालोर
5	पारिवारिक न्यायालय, करौली	करौली
6	पारिवारिक न्यायालय, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
7	पारिवारिक न्यायालय, सिरोही	सिरोही

राज्यपाल के आदेश से


(अनिल कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. Gen./17/2016/ 979

Dated: 21/07/2017

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

1. All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench, Jaipur. Registrar (Classification)/CPC, RHC, Jodhpur with a request to upload the same at Rajasthan High Court website.
2. Concerned District and Session Judges.
3. Concerned Motor Accident Claim Tribunals.
4. Concerned Family courts.
5. Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, computer cell (for update & mail to concerned DJ), Rajasthan High Court, Jodhpur.


21/7/2017
REGISTRAR (RULES)

1334
21/7/17